

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05122020-223512 CG-DL-W-05122020-223512 साप्तााहक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5—दिसम्बर 11, 2020 (अग्रहायण 14, 1942)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5-DECEMBER 11, 2020 (AGRAHAYANA 14, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी को गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

> श्रम और रोजगार मंत्रालय (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 2020

सं ए-12/11/1/भ.वि.-न.सि./2017-चि.-VI कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (XXi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नर्सिंग संवर्गों/पदों), भर्ती विनियमों, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक पदों से संबंध रेखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी (पूर्व में क्रमश: स्टाफ नर्स तथा नर्सिंग सिस्टर) तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक पद पर भर्ती की पद्वति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता हा नामत :—

.1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियमे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

- 2. राष्ट्रीयता-नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को होना चाहिए:---
 - (क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

| अथवा संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रश्वासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम | –सदस्य | |
|---|--------|-----------------------------|
| (3) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक, (स्थापना—I), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम | –सदस्य | |
| | | अनुराधा प्रसाद महानिदेशक |

सं. ए-12(11)4/2016-स्था.-I-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे आहारविद् पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में आहारविद् के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आहारविद, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. राष्ट्रीयता.– अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए
 - (क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता / रखती हो जो समय—समय पर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अधिसूचित की गई हों।

- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल. उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. शारीरिक स्वस्थता.-

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी / कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

- निरर्हता.— ऐसा कोई व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
 - (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

- 7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति.— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- 8. व्यावृत्ति.— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरुप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में लेवल | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद | सीधे भर्ती के लिए आयु–सीमा |
|-----------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| आहारविद् | 32* *(2020) कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन | समूह ′ख′, गैर–अनुसचिवीय | लेवल—7 (44,900—1,42,400 रुपये) | लागू नहीं | तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी.– आयु–सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार होगी। |

| सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं | क्या सीधे भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया गया |
|---|---|--|---|---|
| (7) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहरिकी या खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहरिकी या आहारिकी और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री या (ख)(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहारिकी या खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहारिकी या आहरिकी और खाद्य सेवा प्रबंधन में बी.एससी. और (II) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहरिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और (III) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या साविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के अधीन 100 बिस्तर वाले अस्पताल में आहरिकी में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। | (8) लागू नहीं | (9) दो वर्ष टिप्पणी : परिवीक्षा के सफल समापन के भाग के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा यथा—निर्धारित तथा प्रायोजित सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण। | (10) सीधी भर्ती द्वारा। | (11) लागू नहीं |

अनुसूची

| टिप्पणी २ : अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामलों में यदि | | |
|--|--|--|
| चयन के किसी भी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग | | |
| की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित | | |
| अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित | | |
| रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न | | |
| होने की संभावना है तो तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध | | |
| करते हुए, अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा | | |
| आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है। | | |

| यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|---|
| (12) | (13) |
| समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन – | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |
| (1) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम –अध्यक्ष | |
| (2) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) / निदेशक (चिकित्सा प्रशासन) / संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम – सदस्य (3) निदेशक / संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (स्थापना–I) (मुख्यालय), कर्मचारी राज्य बीमा निगम – सदस्य | |

अनुराधा प्रसाद महानिदेशक

दिनांक 10 नवम्बर 2020

रां. ए-12(11)10 / 2015-स्था.I.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्टाफ कार चालक (भर्ती) विनियम, 1994 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम केंद्र सरकार के अनुमोदन से एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम केंद्र विगय कार चालक (भर्ती) विनियम, 1994 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम केंद्र सरकार के अनुमोदन से एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में स्टाफ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्पूलिखित विनियम बनाता है, अर्थात—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्टाफ कार चालक ग्रेड I, स्टाफ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक (सामोभ्य ग्रेड), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकेश्यन की तारीख से लागू होंगे।

- 2. राष्ट्रीयता.– अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होने चाहिए
 - (क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता / रखती हो जो समय—समय पर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अधिसूचित की गई हों।

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल. उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में खथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. शारीरिक स्वस्थता.—

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेन में एक अधिकारी / कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।



ANURADHA PRASAD Director General

No. A-12(11)4/2016-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Para Medical Post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the post of Dietician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Dietician in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

- 1. Short title and commencement. (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Dietician, Recruitment Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Nationality.- A candidate for appointment must be :-
 - (a) a Citizen of India; or
 - (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 3. Number of post, classification and level in the pay matrix. —The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.
- (2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be the same as for corresponding appointment under the Central Government.

- 6. Disqualification. -No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 7. Power to relax.—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, after taking prior approval of Central Government, and in consultation with the Union Public Service Commission, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings. Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other

special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

| | | SCHEDULE | |
|------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Name of the post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Dietician | 32* *(2020) Subject to variation dependent on workload. | Group B, Non-Ministerial. | Level -7 (Rs. 44,900-1,42,400) |

| Whether selection non-selection post | or Age limit f | or direct recruits | Edu | cational and other q | ualification required for dire | ect recruits |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| (5) | | (6) | | | (7) | |
| Not applicable. | (Relaxable servants an Employees Corporatio in accordar instructions by the Cen Note.— Th determinin shall be a | for Government d employees of ' State Insurance n upto five years' nee with the s or orders issued tral Government). ne crucial date for g the age limit as advertised by Public Service | (B No Pu in No dis be Sc sei tha po | Home Economics Science and Nut Dietetics and Foo University or Inst or (I) B. Sc. in Foo Economics or C Science and Nut Dietetics and Foo University or Inst (II) Post-graduate University or Inst (II) One-year publeded hospital Government or A Public Sector U Research Institution the case of candidate ote 1: Qualification the case of candidate of the Union Po at sufficient number | a Food and Nutrition or H s or Clinical Nutrition and E rition or Food and Nutritio od Service Management fro itute; d and Nutrition or Home S Clinical Nutrition and Dia rition or Food and Nutrition of Service Management fro itute; and e diploma in Dietetics fro itute; and ractical experience in Diet under Central Governa Autonomous or Statutory indertaking or recognised ons. is relaxable at the discretion ission, for reasons to be recor- tes otherwise well qualified. tion regarding experience is n Public Service Commission g in the case of candidates the Scheduled Tribes if a ublic Service Commission, er of candidates from the ite experience are not likely | Dietetics or Food ion Dietetics or om a recognised cience or Home etetics or Food ion Dietetics or om a recognised m a recognised m a recognised etics in a 100- ment or State Organization or Universities or on of the Union orded in writing, relaxable at the on, for reasons to belonging to the at any stage of is of the opinion se communities |
| Whether age P | eriod of | Method of | | In case of | If a Departmental | Circumstances |
| and educational p | robation, f any | recruitment wheth by direct recruitm or by promotion of by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | ent | recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made | Promotion Committee exists what is its composition | in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
| (8) | (9) | (10) | | (11) | (12) | (13) |
| Ň | `wo years Jote: Aandatory | By direct recruitm | nent. | Not applicable. | Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting | Consultation with Union Public Service Commission |

| induction | of— nec | cessary. |
|--------------------------|----------------------------|----------|
| training for | 1. Insurance | |
| direct | Commissioner (Personnel | |
| recruitment as | and Administration), | |
| prescribed and | Employees' State | |
| sponsored by | Insurance Corporation | |
| Employees' | - Chairman | |
| State Insurance | 2. Additional | |
| Corporation as | Commissioner (Medical | |
| part of successful | Administration)/ Director | |
| | (Medical Administration) | |
| completion of probation. | / Joint Director (Medical | |
| probation. | Administration), | |
| | Employees' State | |
| | Insurance Corporation | |
| | - Member | |
| | 3. Director /Joint | |
| | Director/Deputy Director | |
| | (Establishment. I) (Hqrs), | |
| | Employees' State | |
| | Insurance Corporation | |
| | - Member. | |

ANURADHA PRASAD Director General

The 10th November 2020

No. A-12(11)10/2015-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Staff Car Drivers (Recruitment) Regulations, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes with the approval of the Central Government, the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver Grade I, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Employees' State Insurance Corporation, namely:

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Staff Car Driver Grade I, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Nationality.— A candidate for appointment must be:
 - (a) a Citizen of India; or
 - (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. The method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be the same as for corresponding appointment under the Central Government.

^{6.&#}x27; Disqualification.— No person, —